डायरी संख्या 3873 / का०के०सिं०वि०
दिनांक 21/10/2016 लखनऊ

कार्यालय प्रमुख अभियंता
(अधिष्ठान-2 अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांकःजी-484/ई-2/ लखनऊः दिनांक : 20 अक्टूबर, 2016

विषयः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित किए जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-2) सिंचाई एवं ज0सं0विभाग, .

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासकीय ज्ञाप संख्याः177/सत्ताईस-13-2014-324/2001, दिनांक 06.10.2016 द्वारा श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियंता की ज्येष्ठता श्री ठाकुर प्रसाद (ज्येष्ठता क्रमांक-207(13)) के नीचे तथा श्री राम अवतार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-207(14)) के उपर क्रमांक-207(13)(1) पर अनन्तिम रूप से प्रख्यापित करते हुए पत्र निर्गत तिथि से 07 दिन के अन्दर लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाने का समय निर्धारित किया है।

अतः शासकीय ज्ञाप संख्याः177/सत्ताईस-13-2014-324/2001, दिनांक 06.10.2016 की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय पत्र द्वारा निर्गत वरिष्ठता के कम में जो भी लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन प्राप्त हों निर्धारित अवधि के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रख्यापित कर दी जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(कुलदीप श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियंता (ई-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0एवं ज0सं0वि0

पत्रांकःजी-484(1)/ई-2/तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासकीय आदेश संख्याः177/सत्ताईस-13-2014-324/2001, दिनांक 06.10.2016 के संदर्भ में।
2. अधीक्षण अभियंता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियंता,सिंचाई एवं ज0सं0विभाग, लखनऊ को शासकीय ज्ञाप संख्याः177/सत्ताईस-13-2014-324/2001, दिनांक 06.10.2016 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित हे कि कृपया उक्त शासकीय पत्र को वेब साइट पर अपलोड कर करने का कष्ट करें।

(कुलदीप श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियंता (ई-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिं0एवं ज0सं0वि0

EE(E-2)

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–13
संख्या– 177 /सत्ताईस–13–2014–324/2001
लखनऊः दिनॉकः 06 अक्टूबर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–942/सत्ताईस–1–2014–324/2001, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रिट याचिका सं0–665(एस0बी0)/98 मो0 अरशद खाँ बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0–230(एस0बी0)/2009 अशोक कुमार राना बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों क्रमशः दिनांक 27.09.2010 तथा दिनांक 25.02.2010 के अनुपालन में दिनांक 22.09.1997 से नियमित रूप से प्रोन्नत 28 डिग्रीधारी कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 06.01.2001 द्वारा वर्ष 1990–91 से 1997–98 तक नियमित रूप से नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–207 पर अंकित सहायक अभियन्ता श्री हरी प्रकाश काला के नाम के नीचे तथा ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–207(ए) पर प्रतिस्थापित प्रथम सहायक अभियन्ता श्री चाँद सिंह के नाम के ऊपर क्रमांक–207(1) से 207(28) पर अन्तिम रूप से प्रख्यापित की गई है।

2– सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–2 के प्रोन्नति/विज्ञप्ति दिनांक 13.06.2016 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0–230(एस0बी0)/2009 अशोक कुमार राणा व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या–383/2013 दयाशंकर सिंह बनाम् उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.10.2013 के अनुपालन में तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री दयाशंकर सिंह (डिग्रीधारी अवर अभियन्ता) को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र सं0–10/05/पी/एस–7/2010–11, दिनांक 18.05.2016 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के अधिसंख्य पद पर नियमित रूप से दिनांक 22.09.1997 से प्रोन्नति प्रदान की गई है।

3– प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2016 एवं 21.09.2016 में श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2014 द्वारा

निर्गत ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–14 पर अंकित श्री ठाकुर प्रसाद (वरिष्ठता क्रमांक–207(13)) के नीचे एवं क्रमांक–15 पर अंकित श्री राम अवतार सिंह (वरिष्ठता क्रमांक–207(14)) के ऊपर वरिष्ठता क्रमांक–207(13)(1) पर निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

4– अतः एतद्द्वारा श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता कार्यालय–ज्ञाप सं0–942/सत्ताईस–1–2014–324/2001, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा कार्यालय–ज्ञाप सं0–6512/27–1–2000–46डब्लू0पी0/2000, दिनांक 06.01.2001 द्वारा प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक–207(13) पर प्रतिस्थापित श्री ठाकुर प्रसाद के नीचे तथा क्रमांक–207(14) पर अंकित श्री राम अवतार सिंह के ऊपर क्रमांक–207(13)(1) पर अनन्तिम रूप से प्रख्यापित की जाती है।

5– इस ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में यदि किसी अधिकारी को कोई आपत्ति है तो वह अपनी लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन निर्गत तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर प्रेषित कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस अनन्तिम ज्येष्ठता के विरूद्ध समयान्तर्गत प्राप्त आपत्तियों एवं प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के उपरान्त अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित कर दी जाएगी।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्याः 177 (1)/27–1–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि सूची में अंकित समस्त अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करें।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
7/10/2016
(रामचन्द्र यादव)
संयुक्त सचिव।